FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीक

सुरेन्द्र सिंह .... बनाम .... प्रवीण ....

किस्म मुकदमा .... हांवा .... नं. .... 57 .... सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
16.01.2023	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एंव दुरूस्ती रिकार्ड का स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 16/01/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.07 17:31:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
67 / 2022	2022 / 140	12.05.20..	16.01.2023

उनवान प्रकरण

1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र गोरधनसिंह आयु 66 वर्ष
2. राजेन्द्रसिंह पुत्र गोरधनसिंह आयु 63 वर्ष
3. गजेन्द्रसिंह पुत्र गोरधनसिंह आयु 58 वर्ष
4. मोहन कंवर पत्नी नरेन्द्रसिंह आयु 64 वर्ष
5. कुलदीपसिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह आयु 32 वर्ष
6. शक्तिसिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह आयु 30 वर्ष
7. प्रमेन्दसिंह पुत्र भंवरसिंह आयु 34 वर्ष
8. लोकेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह आयु 40 वर्ष
9. समुन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह आयु 36 वर्ष

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

––वादीगण––

बनाम्

1. श्रीमती प्रवीण कंवर पत्नी मूलसिंह आयु 63 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

––प्रतिवादीगण––

उपस्थित :–

श्री जे0पी0 गूर्जर, एड0 वादीगण अभिभाषक।
श्री प्रहलाद सिंह, एड0 प्रतिवादिया संख्या 1 की ओर से अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.07 17:31:06 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती रिकार्ड
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

16/01/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 2071 रकबा 0.47 हैक्टर तन् ग्राम मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित है जिसका पुराना खसरा नम्बर 1571 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा है। उक्त पुराने खसरा नम्बर 1571 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा की खातेदारी वादीगण के पिता दादा जो गोवर्धनसिंह पुत्र दीनसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में है। जिसकी खातेदारी वादीगण के नाम रकबा 0.2136 हैक्टर तथा शेष रकबा 0.2564 हैक्टर की खातेदारी अन्य सहखातेदारान के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है। कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 1571 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा का नवीन खसरा नम्बर 2071 बनाया गया जिसका रकबा 0.47 हैक्टर राजस्व रिकार्ड अंकन है जो गलत है। वास्तविक रूप से 2 बीघा 2 बिस्वा का रकबा 0.5250 हैक्टर बनता हैं। इस प्रकार भूमि (नवीन) खसरा नम्बर 2071 का रकबा 0.0550 हैक्टर कम कर सीमावर्ती कृषि भूमि खसरा नम्बर 2066, 2067, 2069 कुल किता 3 कुल रकबा 0.62 हैक्टर में मर्ज कर दिया गया हैं जो गलत है। इस प्रकार कृषि भूमि (पुराने) खसरा नम्बर 1571 के रकबे में कम किया गया (क्षेत्रफल) रकबा 0.0550 हैक्टर के एकमात्र अधिकारी वाद के वादीगण ही है। क्योंकि वादीगण के पिता/दादाजी गोवर्धनसिंह से उक्त कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 2071 रकबा 0.47 हैक्टर में से ही अन्य सहखातेदार को उक्त भूमि रकबा 0.2564 हैक्टर का बेचान किया था। इस प्रकार अकेले वादीगण ही उक्त वादग्रस्त रकबा 0.0550 हैक्टर के हक हिस्सा के अधिकारी है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 2066 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 2067 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 2069 रकबा 0.30 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 0.62 हैक्टर तन् ग्राम मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमियों का पुराना खसरा नम्बर 1600 रकबा [illegible] बीघा 5 बिस्वा ही था। उक्त कृषि भूमियों की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में [illegible] वादीया नाम से राजस्व रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.07 17:31:06 IST
Reason: SelfAttested

16/01/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

में अंकित है। वादीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 1571 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा रिसैटलमेन्ट से पूर्व/राजस्व रिकार्ड में सही अंकन था परन्तु रिसैटलमेन्ट के वक्त सैटलमेन्ट विभाग की गलती या सहवन से वादीगण की उक्त कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 1571 का नवीन खसरा नम्बर 2071 बनाया गया उसका (क्षेत्रफल) रकबा मात्र 0.47 हैक्टर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया है। जबकि उक्त भूमि पुराने खसरा नम्बर 1571 के नवीन खसरा नम्बर 2071 का सही रकबा 0.5250 हैक्टर अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना चाहिये था इस प्रकार वादीगण की कृषि भूमि का 0.0550 हैक्टर रकबा कम कर प्रतिवादीया की उक्त भूमियों में समाहित कर दिया गया जो सर्वथा गलत है और काबिल दुरूस्तनीय है। प्रतिवादीया की खातेदारी भूमि का पुराना खसरा नम्बर 1609 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा रिसैटलमेन्ट के पूर्व राजस्व रिकार्ड में सही अंकन था परन्तु रिसैटलमेन्ट के वक्त सैटलमेन्ट विभाग की गलती या लापरवाही से उक्त भूमि पुराना खसरा नम्बर 1609 के नवीन खसरा नम्बर 2066 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 2067 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 2067 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 2069 रकबा 0.30 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 0.62 हैक्टर अंकन किया गया है जो वास्तविक रूप से रकबा 0.0575 हैक्टर (क्षेत्रफल) अधिक अंकन किया गया है जो सही नहीं है। उक्त तीनों नवीन खसरा नम्बर 2066, 2067, 2069 का सही रकबा 0.5625 हैक्टर राजस्व रिकार्ड में अंकन होना चाहिए था। वादीगण की खातेदारी की उक्त भूमि पुराना खसरा नम्बर 1571 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा का नवीन खसरा नम्बर 2071 का मौके पर आज भी रकबा 0.5250 हैक्टर पूर्व जितना ही हैं परन्तु राजस्व रिकार्ड खातेदारी में 0.47 हैक्टर अंकन किया गया है तथा नक्शा ट्रेस में भी सीमायें नवीन नक्शों में गलत दर्शित की गयी है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उक्त कृषि भूमियों के पुराने नक्शा ट्रेस नवीन नक्शा ट्रेस का तुलनात्मक रूप से अवलोकन [illegible] और दोनों पक्षों की राजस्व रिकार्ड जमाबंदी (खतौनी) के तु[illegible] से पता चलता हैं कि वादीगण की उक्त कृषि भू[illegible]71 का नवीन खसरा नम्बर 2071 रकबा 0.47 हैक्टर बनाया गया है। उकबा रक[illegible] 0.0550 हैक्टर (क्षैत्रफल) भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.07 17:31:06 IST
Reason: SelfAttested

16/01/23

दिलीप सिंह
प्रशासनिक अधिकारी, श्रीमाधोपुर

प्रतिवादीगया की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2066, 2067, 2069 कुल किता 3 कुल रकबा 0.62 हैक्टर में मर्ज (मिला दी) कर दिया गया है। जिससे प्रतिवादीया का वर्तमान खातेदारी राजस्व रिकार्ड में रकबा 0.56258 हैक्टर के बजाय 0.62 हैक्टर (क्षेत्रफल) रकबा अंकन हुआ है अर्थात् 0.0575 हैक्टर रकबा बढ़ा हुआ है। रिसैटलमेन्ट के वक्त सैटलमेन्ट विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड में वादीगण के खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1571 का रकबा कम किया जाकर प्रतिवादीया की खातेदारी भूमि नवीन नम्बर 2066, 2067, 2069 में मर्ज कर राजस्व रिकार्ड में भूमि का रकबा बढ़ा दिया गया हैं। जो कतई गैरकानूनी अवैधानिक एवं मनमाने रूप से गलत बढ़ाया गया है। जबकि द्वितीय सैटलमेन्ट के वक्त सैटलमेन्ट विभाग को इस प्रकार की कार्यवाही का कोई प्रावधान कानूनन नहीं प्राप्त था। सैटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करना अवैधानिक रूप से किये जाने से गलत एवं अवैध हैं जो काबिल दुरूस्तनीय है। वादीगण को इनके पिता/दादाजी गोवर्धनसिंह के जीवनकाल में उक्त राजस्व रिकार्ड के बारे में जानकारी नहीं रही है और स्व0 गोवर्धनसिंह जी द्वारा ही उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 2071 में से दीगर सहखातेदारान के उक्त भूमि रकबा 0.47 हैक्टर में से रकबा 0.2564 हैक्टर का बेचान पूर्व में किया गया है। अब वादीगण एवं अन्य खातेदारान के तकास्मा में सीमाज्ञान करवाने से पटवारी हल्का एवं तहसील कार्यालय से राजस्व रिकार्ड का प्राप्त करने पर राजस्व रिकार्ड में रकबा (क्षैत्रफल) कम होने का पता चला तो वादीगण ने प्रतिवादीया को अपनी कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में कमी रकबे को दुरूस्ती बाबत् निवेदन किया तो प्रतिवादीया पहले तो हां करती रही परन्तु अब पूर्णतः इंकार हो गयी एवं वादीगण के कब्जे में मजाहमत करने की धमकी देने तथा उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में दीगर को बेचान की धमकी दिये जाने पर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। इसलिए वादीगण का वादपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वाद कारण [illegible] पूर्व उक्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में रकबें में की दुरूस्ती बाबत प्रतिवादीया द्वारा इंकार होने एवं वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत करने [illegible] दीगर को बेचान करने की धमकी देने से उत्पन्न हुआ है। वाद वास्ते उदघोषणा स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.07 17:31:06 IST
Reason: SelfAttested

16/01/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

रिकार्ड बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। प्रतिवादिया संख्या 1 की ओर से श्री प्रहलाद सिंह शेखावत एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका एड0 ने आईन्दा पेशी पर वकालतनामा पेश करने बाबत दिनांक 19.10.2022 को अण्डरटेंकिंग प्रस्तुत करने के उपरान्त भी निर्णय दिनांक तक कोई वकालतनामा पेश नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 की तामील असालतन होने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादीगण में वादी स्वंय का मुख्य परीक्षण मे एव वादीगण साक्ष्य गवाह में शोदयालसिंह पुत्र शंकर सिंह एवं विजेन्द्र सिंह पुत्र जयसिंह के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुए। प्रकरण में साक्ष्य वादीगण व वादीगण गवाहान् के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हो जाने से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की जाकर वकील वादीगण ने सीधे ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें [illegible] सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील [illegible] पर गौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राज[illegible] रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.07 17:31:06 IST
Reason: SelfAttested

16/01/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

जमाबंदी सम्वत् 2029–2032, 2050 से 2053, 2074–2077 की दो जमाबन्दीयाँ, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, नक्शा ट्रेस नवीन व नक्शा ट्रेस पुराना, साक्ष्य वादीगण में प्रस्तुत साक्ष्य वादी व साक्ष्य गवाहान् इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी पक्षकारान वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जो प्रतिवादिया संख्या 1 प्रवीण कंवर के द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि खसरा नम्बर 2066, 2067, 2069 कुल किता 3 कुल रकबा 0.62 हैक्टर सम्पूर्ण अवस्थित तन् ग्राम मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर का क्रय इसके मूल खातेदारान् मोहनसिंह, बजरंगसिंह, शंकरसिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्रगण धनसिंह जाति राजपूत निवासी मूण्डरू से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांकित 18.10.1994 के द्वारा क्रय किया जाना स्पष्ट रूप से साबित होता है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2066, 2067, 2069 कुल किता 3 कुल रकबा 0.62 हैक्टर में से रकबा 0.0550 हैक्टर कम किया जाकर उक्त रकबे की खातेदारी बट्टा भिन्न नम्बर डालकर वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। उक्त अनुतोष प्रतिवादिया संख्या 1 के द्वारा अपने पक्ष में पंजीबद्ध करवाये गये रजिस्टर्ड विक्रय लेख की भूमि में से वादीगण द्वारा अनुतोष चाहा गया है। जबकि प्रतिवादिया संख्या 1 के द्वारा उक्त वर्णित भूमि रकबा 0.62 हैक्टर को रजिस्टर्ड विक्रय लेख के आधार पर जरिये नामान्तकरण संख्या 343 के आधार पर जमाबन्दी सम्वत् 2050 से 2053 में खातेदारी प्रतिवादिया संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। वादीगण द्वारा न तो विक्रय लेख दिनांकित 18.10.1994 को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई है तथा ना ही उक्त विक्रय लेख के आधार पर तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 343 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.07 17:31:06 IST
Reason: SelfAttested

16/01/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

है सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई है। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष वादीगण को दिया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एंव दुरुस्ती रिकार्ड को स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

16/01/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 16.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/01/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.07 17:31:06 IST
Reason: SelfAttested